



क्रमांक / RALVV- 199 / परीक्षा / 2025

सागर, दिनांक : 1/03/2025

:: अधिसूचना ::

स्नातक प्रथम वर्ष स्वाध्यायी परीक्षार्थी नामांकन के संबंध में

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि स्नातक प्रथम वर्ष के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु वर्ष 2024-25 में स्वाध्यायी परीक्षार्थी नामांकन/आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से भरने की तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है-

क्र.	कक्षा	शुल्क का विवरण	सामान्य शुल्क के साथ निर्धारित तिथियां	विलंब शुल्क 150/- के साथ निर्धारित तिथियां
01.	बी.ए. बी.कॉम. बी.एससी.	नामांकन हेतु सामान्य शुल्क रुपये 200/- प्रति छात्र एवं मध्यप्रदेश के बाहर स्थित बोर्ड / विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों हेतु नामांकन शुल्क 200 /- अप्रवासन (इमीग्रेशन) शुल्क 500/- कुल 700/- रुपये प्रति छात्र के साथ ऑनलाइन नामांकन फार्म भरने की तिथि-	03.03.2025 से 17.03.2025 तक	18.03.2025 से 22.03.2025 तक

आवेदन महाविद्यालय से अप्रुवल कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची -

01. अंतिम अर्हकारी उत्तीर्ण परीक्षा अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
 02. जन्म तिथि सत्यापन हेतु हाईस्कूल परीक्षा की सत्यापित अंकसूची।
 03. विदेशी छात्र है अथवा म.प्र. राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय/बोर्ड का छात्र है, तो रानी अवन्तीबाई लोधी वि.वि. सागर द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र।
- नोट:- परीक्षा फार्म भरते समय वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है, अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी चयनित महाविद्यालय में जमा करें।

महाविद्यालयों को ऑनलाइन नामांकन फार्म के संबंध में आवश्यक निर्देश :-

01. स्वाध्यायी MP ONLINE पोर्टल में जाकर अपना नामांकन फार्म भरे इसके पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी का नामांकन नंबर जनरेट किया जायेगा।
02. नामांकन नंबर जनरेट होने के पश्चात् स्वाध्यायी छात्रों द्वारा चयनित महाविद्यालय के प्राचार्य विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन अप्रुवल कराना सुनिश्चित करें।
03. महाविद्यालयों को एम. पी. ऑनलाइन लॉगिन हेतु जीटूजी आई.डी. पासवर्ड प्रेषित किया जा चुका है। जिन महाविद्यालयों को G2G आई.डी. पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। वह विश्वविद्यालय के दूरभाष नं. 9589250580 से संपर्क करें।

ऑनलाइन परीक्षा फार्म एप्रूव करने से पहले महाविद्यालय यह जांच लें कि संबंधित छात्र-छात्रा द्वारा अपने माता-पिता का नाम, धर्म, जाति, लिंग, जन्मतिथि, मो. नं., विषय, पूरा पता, फोटो, हस्ताक्षर, माईग्रेशन/प्रवजन प्रमाण पत्र एवं माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) आदि का सही अंकन किया है अथवा नहीं। अन्य कोई बिन्दु जो महाविद्यालय के संज्ञान में हो। उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन सत्र 2024-25 प्रवेश नियमानुसार नामांकन/प्रवेश हेतु पात्रता का परीक्षण एवं छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों के सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व व जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य की होगी। भली भांति परीक्षण उपरांत पात्रता सुनिश्चित होने पर ही ऑन लाइन आवेदन फारवर्ड करें। समस्त वांछित अभिलेखों, प्रमाण पत्र सहित छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी संबंधित महाविद्यालय में सुरक्षित संधारित की जावे तथा विश्वविद्यालय द्वारा चाहे जाने पर उपलब्ध करायी जावे।

05. समस्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल (<https://www.ralvv.mponline.gov.in>) पर G2G लॉगिन कर ऑनलाइन प्राप्त नामांकन फार्म को निर्धारित तिथि तक एप्रूव करना होगा। फार्म एप्रूव न होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन जारी नहीं किया जायेगा।
06. महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के नामांकन एप्रूव करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र द्वारा जिसमें प्रवेश किया है उसी हेतु नामांकन आवेदन किया गया है। विषय/ग्रुप संबंधी त्रुटि समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।
07. महाविद्यालय समस्त छात्रों के आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्रूव कर पाठ्यक्रमवार/विषयवार सत्यापित सूची, अंतिम तिथि के 05 दिवस तक अनिवार्यतः तक विश्वविद्यालय की नामांकन शाखा में जमा करेंगे। सूची प्राप्त न होने पर नामांकन जारी नहीं किये जावेगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय प्राचार्य की होगी।
08. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए विश्वविद्यालय के दूरभाष नं. 07582-299604 एवं मोबाइल नं. 9589250580 एवं एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नं. 0755-6720200 पर संपर्क करें, साथ ही hegc.newraniavsag@mp.gov.in पर नाम, दूरभाष व समस्या विवरण का लेख करते हुए ई-मेल प्रेषित करें।

नोट:- महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को MP ONLINE पोर्टल पर Student Information System (SIS) आई.डी बनाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों के इस SIS आई.डी पर परीक्षा आवेदन-पत्र, प्रवेश पत्र एवं अंकसूची, Migration, Eligibility, Provisional Degree उपलब्ध रहेगा। विद्यार्थी Student Information System (SIS) के माध्यम से उक्त दस्तावेजों का प्रिंट आसानी से निकाल सकेंगे। विद्यार्थी को अपने कार्य हेतु अन्य स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा। यह Student Information System (SIS) विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन नम्बर जनरेट होने के पश्चात नामांकन नम्बर से ही आपरेट किया जायेगा।



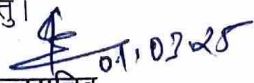
कुलसचिव
रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय
सागर (म0प्र0)

सागर, दिनांक: 1/03/2025

क्रमांक/ RALVV-200 /परीक्षा/2025

प्रतिलिपि-

01. आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
02. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, सागर संभाग, सागर की ओर सूचनार्थ।
03. प्राचार्य, समस्त संबद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, तृतीय तल, स्टेट आई.टी. पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गांधीनगर भोपाल 462033 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. निज सहायक, कुलगुरु, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)।
06. निज सहायक, कुलसचिव, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)।
07. संपादक दैनिक समाचार पत्रों की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्रहित में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
08. वेबसाइट प्रभारी रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर की वेबसाइट वा अपलोड करने हेतु।


सहायक कुलसचिव
रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय
सागर (म0प्र0)